



**क्षेत्रीय आयुर्वेदीय संक्रामक रोग अनुसंधान संस्थान**  
(केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार)  
अगमकुआँ, पटना - 800007 (बिहार)  
**REGIONAL AYURVEDA RESEARCH INSTITUTE FOR INFECTIOUS DISEASES**  
(Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, Ministry of AYUSH, Govt. of India)  
**AGAM KUAN, PATNA-800007 (Bihar)**

फा.सं. 20-2/क्षे.आयु.सं.रो.अनु.सं./एससीएसपी/पटना/2018-19

२०४

दिनांक: ०३/०६/१९

**वाक-इन-इन्टरव्यू**

क्षेत्रीय आयुर्वेदीय संक्रामक रोग अनुसंधान संस्थान, आर.एम.आर.आई. बिल्डिंग "डी ब्लॉक", अगम कुआँ, पटना-800007 में आयुर्वेद चल स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम (एस.सी.एस.पी.) के अंतर्गत अनुबंध के आधार पर वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता (आयु.) के पदों की नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार किया जाना है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है ।

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	योग्यता, अनुभव एवं आयु सीमा	मसिक पारिश्रमिक	लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार की तिथि
1	वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता (आयु.)	02	<b>आवश्यक / Essential</b> 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ए.एम.एस. की उपाधि <b>वांछित / Desirable</b> 1. PG/PhD डिग्रीधारकों को वरीयता दी जाएगी । 2. कम्प्यूटर एप्लिकेशन (एम. एस. ऑफिस) का ज्ञान आयु सीमा : अधिकतम 35 वर्ष	रुपये 28,000/- प्रतिमाह, एच.आर.ए.	दिनांक 11.06.2019 (मंगलवार) समय: प्रातः 09:00 बजे

**सामान्य शर्तें:**

1. आयु के संबंध में पात्रता लिखित/साक्षात्कार परीक्षा की तारीख के अनुसार निर्धारित की जाएगी । एससी/एसटी/ओबीसी उम्मीदवार को भारत सरकार के सेवा नियमों के अनुसार छुट का लाभ प्रदान किया जाएगा ।
2. नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी रूप से संविदा आधार पर परियोजना सह समाप्ति तक होगी । प्रारंभ में 06 माह के लिए रहेगी जिसे बाद में अभ्यर्थी के संतोषप्रद कार्य के आधार पर बढ़ाया जा सकता है ।
3. यह नियुक्ति पूर्णतः संविदा के आधार पर होगी, जो कि भविष्य में इस नियुक्ति को नियमित अथवा स्थायी करने का दावा (अधिकार) मान्य नहीं होगा ।
4. आवेदक को उपरोक्त स्थान एवं दिनांक को अपने शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र आदि एवं एक सेट छायाप्रति (स्वअभिप्रमाणित के साथ) एवं हाल ही में खिंचाई फोटोग्राफ के साथ प्रातःकाल 09:00 से 10:30 बजे तक संस्थान में रिपोर्ट करें । इसके बाद किसी भी उम्मीदवार को अनुमति नहीं दी जायगी ।
5. अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जायगा ।
6. आवेदक को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी प्रकार का टीए/डीए देय नहीं होगा ।
7. बायोडाटा परिषद् वेबसाइट [www.ccras.nic.in](http://www.ccras.nic.in) से डाउनलोड कर भरकर साथ में लाये ।
8. संस्थान प्रभारी को बिना कारण बताए लिखित परीक्षा/साक्षात्कार स्थगित करने का अधिकार है ।

(डॉ. बी. आर. मीणा)  
अनुसंधान अधिकारी प्रभारी